न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 02/2016/(2017/00008) जिला–अजमेर

1. राजू पुत्र सुगनी पुत्री सूजा जाति गुर्जर (मृतक जरिये वारिसान):–
   1/1 जेती देवी पत्नी स्व0 राजू पुत्र सुगनी पुत्री सूजा जाति गुर्जर
   1/2 सांवरलाल पुत्र स्व0 श्री राजू पुत्र सुगनी पुत्री सूजा जाति गुर्जर
   1/3 किशनी देवी पुत्री स्व0 श्री राजू पुत्र सुगनी पुत्री सूजा जाति गुर्जर
   1/4 कानाराम पुत्र स्व0 राजू पुत्र सुगनी पुत्री सूजा जाति गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/4/1 मतिया पत्नी स0 श्री कानाराम पुत्र स्व0 श्री राजू जाति गुर्जर
   1/4/2 आशा पुत्री स्व0 श्री कानाराम पुत्र स्व0 श्री राजू जाति गुर्जर
   1/4/3 कैलाश पुत्र स्व0 श्री कानाराम पुत्र स्व0 श्री राजू जाति गुर्जर (नाबालिग) जरिये वली माता मतिया पत्नी स्व0 श्री कानाराम
2. भाला पुत्र सुगनी पुत्री सूजा जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण गोपालपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामा पुत्र श्योनाथ मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1 श्रीमती उगमी देवी पत्नी श्री रामा पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।

............प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
निर्णय अपर कलक्टर अजमेर दिनांक 16–11–2016
अन्तर्गत राजस्व अपील स... /2016 बउनवान
राजू व अन्य ब... रा... व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : 1. श्री भियांराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स

निर्णय

दिनांक :30.12.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील, ब्यावर हाल तहसील बिजयनगर जिला अजमेर के राजस्व ग्राम बिजयनगर स्थित विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 32 खैवट खतौनी संख्या 61 के खसरा नम्बर 204 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में अंकित भूमि के मूल रेकार्डेड खातेदार श्री रूडमल पुत्र सूजा जाति गुर्जर साकिन देह की मृत्यु के पश्चात मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 25 दिनाक 8–10–1960 को नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा रामा पुत्र सोनाथ जाति गुर्जर के नाम स्वीकृत कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–11–2016 के द्वारा खारिज कर दी। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक बावजूद सूचना जरिये नोटिस व अखबार साया के उपरान्त भी अनुपस्थित। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील के उक्त तथ्यों सहित बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 8–10–1960 के विरासत के नामान्तरकरण की भूमि के मूल खातेदार रूडमल पुत्र सूजा थे और सूजा के वारिसान में पत्नी झमकू देवी, पुत्र रूडमल व पुत्री सुगनी थे। इनमें से श्रीमती झमकू पत्नी सूजा व रूडकल पुत्र सूजा लॉऔलाद फौत हो गये। इसके पश्चात इनकी एक मात्र वारिसान श्रीमती सुगनी ही थी जिनके वारिसान अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इनके वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया और अपीलीय न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपील खारिज किया है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विवादग्रस्त आराजियात की मौके की स्थिति का जायजा लेकर एवं पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। विवादग्रस्त आरायिाजत के मूल खातेदार सूजा पुत्र अर्जुन थे। सूजा पुत्र अर्जुन के वारिसानों में झमकु उनकी पत्नी फौत हो गई और उनका एक मात्र पुत्र रूडमल भी लॉऔलाद फौत हो गया। वर्तमान अपीलार्थी सूजा की पुत्री सुगनी के पुत्र है और सूजा की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण रूडमल पुत्र सूजा गुर्जर के नाम भरा गया जो कि विवादित खाता संख्या 32 खेवट खतौनी संख्या 61 के खसरा नम्बर 204 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम बिजयनगर में स्थित है जिनके मूल खातेदार सूजा पुत्र अर्जुन गुर्जर थे और उनकी विरासत का नामान्तरकरण उनके एक मात्र पुत्र रूडमल पुत्र सूजा गुर्जर के लॉऔलाद फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 8–10–1960 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कराये बिना ही उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विपरीत जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो कि रूडमल पुत्र सूजा गुर्जर के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच किये बिना विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर तस्दीक किया है और जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 87 गोदनामा पंजीकृत नहीं होने के आधार पर खारिज किया और वहीं नामान्तरकरण उसी दिनांक को रामा पुत्र श्योनाथ के नाम से गलत रूप से स्वीकृत कर दिया गया जो कि लैंड रेकार्ड रूल्स के प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 8–10–1960 नायब तहसीलदार, ब्यावर एक तरफ तो उसका नामान्तरकरण निरस्त कर रहे है दूसरी तरफ विवादित आराजियात के मूल खातेदार रूडमल जिसने कभी भी रामा के पक्ष में भूमि नाम नहीं करवाई व न ही तहरीर अपने जीवन में करवाई ना ही रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी का कभी कोई कब्जा आदि सौंपा गया। नायब तहसीलदार, ब्यावर द्वारा बिना कब्जा आदि की जांच किये न्याय व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में अवैधानिकता की है जो निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–11–2016 एवं नायब तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 दिनांक 8–10–1960 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में 2013 (2) आर.आर.टी पृष्ठ 1284, आर.बी.जे. 2002 पेज 108, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 548, डीएनजे (एससी)2020 (3) आदि दृष्टांत /नजीरे प्रस्तुत कर उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की अपील मीमो पर सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया प्रत्यर्थीगण व उनके अभिभाषक अखबार में साया कराने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस एवं अपील के तथ्यों तथा संबंधित अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 32 खैवट खतौनी संख्या 61 के खसरा नम्बर 204 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के मूल खातेदार श्री रूडमल पुत्र सूजा जाति गुर्जर थे। नायब तहसीलदार, ब्यावर ने विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार के विधिक वारिसानों की विधिवत जांच किये बिना ही विरासत का नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 8–10–1960 रामा वल्द श्योनाथ के नाम तस्दीक कर दिया जबकि झमकू पत्नी सूजा एवं रूडमल पुत्र सूजा के लॉऔलाद फौत होने के कारण इनकी वारिसान श्रीमती सुगनी पुत्री सूजा ही एक मात्र वारिसान थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने मृतकों के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत ब्रिकचियावास पंचायत समिति पीसांगन द्वारा दिनांक 20–10–2014 को जारी सजरा प्रमाण पत्र सलग्न किया है जिसमें स्व0 श्री रूडमल पुत्र सूजा जाति गुर्जर निवासी ब्रिकचियावास के स्वर्गवास पश्चात सुगनी पुत्री सूजा ही वारिस है तथा सुगनी पुत्री सूजा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र भाला एवं राजू ही एकमात्र वारिस है। प्रत्यर्थी एवं प्रर्थीगण के अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 9–9–2020 को अखबार में साया करवाया गया उसके पश्चात भी प्रत्यर्थी एवं प्रर्थीगण के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी सम्पत्ति पर समान अधिकार होगा। हिन्दू उत्तराधिकार कानून में पुरूष के उत्तराधिकारियों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की सम्पत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ–साथ अन्य लोग आते है। हरेक उत्तराधिकारी का सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की सम्पत्ति पर पूरा हक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर बेटी विवाहित हो तो 2005 से पहले हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी। हमवारिस यानि समान उत्तराधिकारी नहीं। हमवारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते है जिनका अपने से पहले की चार पीढ़ियों की अविभाजित सम्पत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिन्दू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोंधन के बाद बेटी को हमवारिस यानि समान उत्तराधिकारी

माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की सम्पत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है यानि विवाह के बाद भी बेटी का पिता की सम्पत्ति पर अधिकार रहता है। विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री रूडमल पुत्र सूजा की एकमात्र वारिस सूजा की पुत्री सुगनी है तथा उसके पश्चात उसके पुत्रों का विवादित आराजियात पर हक अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। इस प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यपरक समान्ता होने से यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में यथावत चस्पा होते है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–11–2016 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 74/16 बउनवान राजू व अन्य बनाम रामा व अन्य व नायब तहसीलदार, ब्यावर द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 25 दिनांक 08–10–1960 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो वे अपीलार्थीगण के विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार तीन माह में सम्पादित कर निर्णय की पालना से अवगत करावे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested